❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर–302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2021–22/ 7195 दिनांक 17-08-2021

निमित्त,

Vishnu Kumar Agarwal,
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,
Jaipur302001

विषय :– जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम– दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी –68) में क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।

सन्दर्भ :– आपके पत्रांक दिनांक 4.08.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं- FP/RJ/MIN/7942/2014 को रजिस्टर कर फार्म A Online प्रस्तुत करने के साथ–साथ उक्त प्रस्ताव के 6 सेट हार्डकॉपी में इस कार्यालय मे जमा कराये गये थे। जिनका निरिक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ( ) FCA/उवसंजउ/2019–20/844 दिनांक 31.01.2020 द्वारा लिखकर ऑन लाईन EDS (6.2.2020) को किया गया था। जिसके क्रम में आपके द्वारा पत्रांक दिनांक 27.07.2020 के द्वारा हार्डकॉपी जमा करवाई गई थी। उक्त जमा कराये गये प्रकरण में भी और कमियां पायी गयी थी। जिनको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा आप (यूजर एजेन्सी) को अवगत करा दिया गया था। जिसके क्रम में आपने दिनांक 17.03.2021 को ऑन लाईन EDS करते हुये पत्रांक दिनांक 20.03.2021 के द्वारा हार्ड कॉपी द्वारा प्रत्युतर इस कार्यालय में भिजवाया गया हैं। उक्त जमा कराये गये प्रकरण में भी और कमियां पायी गयी थी। जिनको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4323 दिनांक 6.04.2021 के द्वारा आप (यूजर एजेन्सी) को अवगत करा दिया गया था। जिसके क्रम में आपने दिनांक 5.08. 2021 को ऑन लाईन EDS करते हुये पत्रांक दिनांक 4.08.2021 के द्वारा हार्ड कॉपी द्वारा प्रत्युतर इस कार्यालय में भिजवाया गया हैं। जो इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2021 को प्राप्त हुआ हैं। उक्त जमा कराये गये प्रत्युतर में निम्नलिखित आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति अब भी अपेक्षनीय हैं। अतः इनका स्पष्ट प्रत्युतर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें:–

1. बिन्दु सं. 1 के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट प्लान मैप (GT Sheet map) Page No.-15 अब भी स्पष्ट नही हैं।
2. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि हेतु ग्राम बुचारा, तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नं. 1249/1863 रकबा 13.72 है0 भूमि किस्म पहाड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल व खसरा नं. 1194 क्षेत्रफल 53.60 है0 भूमि किस्म पहाड का आंशिक क्षेत्रफल 18.8217 है0 कुल क्षेत्रफल 32.5417 है0 भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में विचाराधीन है। उक्त के क्रम में संलग्न किये गये खसरा नक्शा व जमाबन्दी सत्यापित नही हैं। साथ ही नक्शे में खसरा नं0 1194 स्पष्ट नही हैं। संलग्न जी.टी. शीट पर जियो रेफरेन्स किया हुये मैप में भी अन्तर हैं। अतः राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी0 टी0 शीट (1:50000 के स्केल) पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के0एम0एल0 फाईल व जी0पी0एस0 कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें। साथ ही विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण पहले क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली से सामान्जस्य स्थापित कर करवाया जाये।
3. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आपने मौके पर प्रस्तावित स्थल का सीमा चिन्हों (पिलर्स) द्वारा सीमाकंन कर दिया गया है। एवं फोटोग्राफ मय जी0पी0एस0 कॉडिनेट के संलग्न कर दिये गये हैं। किन्तु आप द्वारा जमा कराये गये फोटोग्राफ में पिलर्स पर जी0पी0एस0 कॉडिनेट व बियरिंग नही लिखे गये हैं।
4. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व दिनांक अभी भी अंकित नही हैं।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट (इकजाई शीट) पर सुपर इम्पोज कर जी0पी0एस0 कॉडिनेट अंकित नही किये गये हैं।

6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र को इकजाई खसरा शीट पर मार्क कर दिया गया है किन्तु रेवेन्यू शीट का स्केल परिवर्तित कर दिया गया हैं। रेवेन्यू शीट का स्केल (1सेमी=:40 मीटर) रखा जावें। साथ ही सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 13.03.2019 के अनुसार ब्लॉक संख्या 2 का उत्तरी कोर्नर ग्राम दुदावास के खसरा नं. 234 में ही बताया गया है। किन्तु आप द्वारा जमा कराये गये रेवेन्यू मैप के अनुसार ब्लॉक संख्या 2 में खसरा नं0 233 की वन भूमि भी आती हैं। अतः स्थिति स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित हैं।

7. Geological Survey of india के पत्रांक सं. 86/5/96/TC/EQ/WR/2001 जयपुर दिनांक 18.08.2003 के अनुसार ग्राउण्ड लेवल से 100 मी. की उंचाई वाली पहाडी अरावली पर्वत श्रखलां का भाग होगी। निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, खनिज भवन, उदयपुर के पत्रांकः निखामू/भूवि/मा.चि./अ.III/7/2005/3 दिनांक 9.01.2006 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आई. ए. नं. 1310 याचिका संख्या 202/85 में दिनांक 8.04.2005 को दिये गये निर्णय के तहत 16.12.2002 के पश्चात हिल्स पर खनन की नई स्वीकृतियां भी जारी नही की जा सकती हैं (प्रति संलग्न)। अतः उक्त के क्रम में संबंधित खनन विभाग के कार्यालय से यह प्रमाण पत्र लेकर संलग्न करना उचित होगा कि उक्त प्रस्तावित स्थल अरावली पर्वत श्रखलां की श्रेणी में आता है कि नही। जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की अवमानना न हो।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुदीप कौर) IFS
उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :– एफ( ) FCA/उवसंजउ/2020–21/ दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
2. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि यूजर एजेन्सी द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण करवाने हेतु सामान्जस्य स्थापित करने पर उक्त गैर वन भूमि का निरीक्षण करें। साथ ही उक्त भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र अपनी अभिषशां के साथ सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप वन सरंक्षक
जयपुर (उत्तर)